

पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय  
ओल्ड सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फ़रीदाबाद, हरियाणा -121001

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सार्वजनिक प्राधिकरण के दायित्व

नियमावली

(01.04.2024 को अद्यतन)

**मैनुअल 1:**

पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय (DPPQ&S) संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का ववरण।

**DPPQ&S का संक्षिप्त इतिहास**

पौध संरक्षण से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में वुडहेड आयोग की सफारिश पर वर्ष 1946 में पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय की स्थापना की गई थी। निदेशालय का नेतृत्व पादप संरक्षण सलाहकार करता है। टिकाऊ कृषि के लिए समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रमों में पौध संरक्षण रणनीति और गति वधियों का महत्वपूर्ण महत्व है। पादप संरक्षण गति वधियों में एकीकृत कीट प्रबंधन, पादप संगरोध, कीटनाशकों के वनियमन, टिड्डी चेतावनी और नियंत्रण और पादप संरक्षण में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा रेगस्तानी क्षेत्रों में कीटों के कारण फसल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से गति वधियाँ शामिल हैं। यह कृषि एवं कसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसके भारत भर में व भन्न उप-कार्यालय हैं और भारत में पीपीक्यूएंडएस निदेशालय का पौधा संरक्षण नेटवर्क है।

<http://ppqs.gov.in/about-us/about-department>

**DPPQ&S के अंतर्गत प्रभागों का संक्षिप्त इतिहास**

**1. पादप संगरोध (पीक्यू)**

देश में पादप संगरोध नियामक उपाय 'वनाशकारी कीट और कीट अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम 2) के माध्यम से संचालित होते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य और इरादा किसी भी कीट, कवक या अन्य कीट के प्रवेश को रोकना है, जो फसलों के लिए वनाशकारी है या हो सकता है। कृषि वस्तुओं का आयात वर्तमान में बीज विकास पर नई नीति, 1988 के प्रावधानों के तहत पादप संगरोध (भारत में आयात का वनियमन) आदेश, 2003 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण और उदारीकरण के मद्देनजर पादप संगरोध का महत्व बढ़ गया है। डब्ल्यूटीओ के तहत स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) समझौते के मद्देनजर पौधों और पौधों की सामग्री का व्यापार। निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं का फाइटोसैनिटरी प्रमाणीकरण भी अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन (आईपीपीसी), 1951 के अनुसार किया जाता है।

(<https://ppqs.gov.in/divisions/plant-quarantine/strengthening-modernisation-plant-quarantine-facilities-india>)

## 2. एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)

कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध और अवैकपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन, भोजन, फलों और सब्जियों, चारे, मट्टी और पानी में कीटनाशकों के अवशेष, कीटों का पुनरुत्थान, मानव और पशु स्वास्थ्य खतरे, वनाश जैसे कई प्रतिकूल प्रभाव हुए हैं। जैव-नियंत्रण एजेंट, कीटों में प्रतिरोध का विकास आदि। इस लिए, सरकार। भारत सरकार ने 1985 से समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रम में एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को प्रमुख सद्घात और पौधों की सुरक्षा के मुख्य मुद्दे के रूप में अपनाया है। आईपीएम एक पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण है जिसमें सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक और आवश्यकता आधारित रासायनिक नियंत्रण उपाय शामिल हैं। आईपीएम दृष्टिकोण को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वृद्धि योजनाओं/परियोजनाओं के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।

<https://ppqs.gov.in/visions/integred-pest-management/overview-and-activities>

## 3. केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC)

हालांकि कीटनाशकों के अनियमित और अंधाधुंध उपयोग से होने वाले अधिकांश खतरों को वर्ष 1958 में ही ध्यान में लाया गया था जब भारत सरकार ने केरल और मद्रास में कई मौतों के बाद अन्य बातों के साथ-साथ उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया था (तमलनाडु) गलती से कीटनाशकों से दूषित आयातित गेहूं की खपत के माध्यम से जहर देकर, जिसे खाद्यान्न के साथ भेजा गया था। कीटनाशकों के उपयोग और कानून के पूरे प्रश्न का अध्ययन 1964-67 में प्रोफेसर एम.एस. की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था। ठाकर. विशेषज्ञ समिति की सफारिशों के आधार पर 1968 में मनुष्यों और जानवरों के लिए जोखिमों को रोकने और उनसे जुड़े अन्य मामलों के लिए कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को वनियमित करने के लिए एक व्यापक कीटनाशक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम का प्रवर्तन वर्ष 1970 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा कृषि मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मंत्रालय के कृषि विभाग ने नियम बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति का गठन किया। राज्यों को एक साथ अधिनियम में उल्लिखित सभी पदाधिकारियों को नियुक्त करने की सलाह दी गई। चरण पूरी तरह से तैयार होने के बाद, कीटनाशक अधिनियम के सभी प्रावधानों को 1 अगस्त, 1971 से लागू किया गया। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में, केंद्रीय स्तर पर कीटनाशकों का पंजीकरण और लाइसेंस की अनिवार्यता है। उनका निर्माण, निर्माण और बिक्री राज्य स्तर पर की जाती है। कीटनाशक अधिनियम लागू होने से देश में कीटनाशकों की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। घरेलू उपयोग के लिए किसानों और आम जनता के लिए उपलब्ध, कृषि फसलों को उनके कीटों के वनाश से बचाने के लिए, मनुष्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटों के कारण होने वाली बीमारियों और उपद्रव से बचाने के लिए और उनके उपयोग में शामिल स्वास्थ्य खतरों को काफी हद तक कम कर दिया गया है। . कीटनाशक अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर दो निकायों का गठन किया गया है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति।

<https://ppqs.gov.in/visions/central-insectIDEs-board-registration-committee/about-cibrc>

#### 4. केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल)

भारत में, कीटनाशक अधिनियम, 1968 के नाम से जाना जाने वाला एक व्यापक कानून है जो मनुष्यों या जानवरों और उनसे जुड़े मामलों के जोखिम को रोकने की दृष्टि से कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वतरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 16 के आधार पर, केंद्र सरकार ने 28 फरवरी, 1981 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल) की स्थापना की है।

(<https://ppqs.gov.in/visions/pesticides-testing-infrastructure/central-insectIDEs-laboratory>)

संगठन का नाम और पता: पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, ओल्ड सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद, हरियाणा -121001

(<https://ppqs.gov.in>)

संगठन के प्रमुख: डॉ. जे.पी. सिंह, पौध संरक्षण सलाहकार (<https://ppqs.gov.in/about-us/meet-the-minister>)

वज़न, मशन और मुख्य उद्देश्य: (<https://ppqs.gov.in/about-us/mission-vision>)

#### DPPQ&S का अ धदेश

- फसलों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाने को लोकप्रिय बनाना, साथ ही फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी में जैविक नियंत्रण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत नियामक उपायों के माध्यम से सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पादप संगरोध आदेश (भारत में आयात का वनियमन), 2003 द्वारा समर्थित वनाशकारी कीट और कीट अधिनियम, 1914 के कार्यान्वयन द्वारा भारतीय कृषि के लिए हानिकारक वदेशी कीटों की शुरुआत को रोकना।
- पौधों की सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों सहित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना और सहायता करना।
- अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखना।
- पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास।
- राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी करना।

#### संगठन के उद्देश्य (प्रभागवार):

पीक्यू प्रभाग:

1. डीआईपी अधिनियम, 1914 और उसके तहत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का वनियमन) आदेश, 2003 के कार्यान्वयन के माध्यम से भारतीय जीवों और वनस्पतियों के लिए हानिकारक वदेशी कीटों और बीमारियों की शुरुआत को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण।

2. कीट मुक्त व्यापार की सुवधा के लए एफएओ के अंतर्राष्ट्रीय पौधा संरक्षण सम्मेलन (आईपीपीसी) 1951 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार निर्यात के लए पौधों और पौधों की सामग्री का निरीक्षण।
3. घरेलू संगरोध नियमों को अपनाकर उनकी रोकथाम के लए वदेशी कीटों और बीमारियों का पता लगाना, यदि लागू किया गया है।

[\(\(https://ppqs.gov.in/divisions/plant-quarantine/objectives](https://ppqs.gov.in/divisions/plant-quarantine/objectives)

#### आईपीएम प्रभाग

1. कीटों और बीमारियों से होने वाली फसल की हानि को कम करें।
2. कसानों को केवल रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय व भन्न पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ कीट प्रबंधन दृष्टिकोणों का उपयोग करने के लए प्रोत्साहित करें।
3. पादप कीट प्रबंधन में जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों के उपयोग को बढ़ावा देना।
4. पौधों के कीटों के लए व भन्न प्राकृतिक शत्रुओं के निर्माण के लए व वध कृष-पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करें।
5. कसानों के बीच जागरूकता पैदा करें (i) रासायनिक कीटनाशकों का सुरक्षित और ववेकपूर्ण उपयोग, (ii) सीआईबी और आरसी द्वारा अनुमोदित खुराक और उपयोग पर लेबल दावों और निर्देशों का पालन करें।
6. पौधों के कीटों की संभावित महामारी के बारे में कसानों को सचेत करने पर मुख्य जोर देते हुए कीटों और बीमारियों के लए सर्वेक्षण और निगरानी करें।
7. कसान फील्ड स्कूलों / 2 दिन / पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों और 30 दिनों के सीजन लंबे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके जमीनी स्तर पर कृष / बागवानी वस्तार कार्यकर्ताओं और कसानों को प्रशिक्षण प्रदान करके कृषक समुदाय में आईपीएम को लोकप्रिय बनाना। इन कार्यक्रमों में उन्हें नवीनतम आईपीएम तकनीक के साथ-साथ जैविक खेती और जैव उर्वरक अपनाने के लए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

[\(\(https://ppqs.gov.in/visions/integred-pest-management/ipm-glance\)](https://ppqs.gov.in/visions/integred-pest-management/ipm-glance)

#### सीआईबी

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले तकनीकी मामलों पर और इस अधिनियम के तहत बोर्ड को सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करने के लए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देता है। जिन मामलों पर बोर्ड सलाह दे सकता है उनमें शामिल हैं:

1. कीटनाशकों के उपयोग में शामिल मनुष्यों या जानवरों के लए जो खम और ऐसे जो खम को रोकने के लए आवश्यक सुरक्षा उपाय;
2. मनुष्यों या जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कीटनाशकों का निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वतरण।(<https://ppqs.gov.in/central-insecticides-board>)

आर सी

1. मनुष्यों और जानवरों के लए उनकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के संबंध में, जैसा भी मामला हो, उनके सूत्रों की जांच करने और आयातक या निर्माता द्वारा कए गए दावों की पुष्टि करने के बाद कीटनाशकों को पंजीकृत करना;
2. ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत उसे सौंपे गए हैं।

(<https://ppqs.gov.in/registration-committee>)

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल)

रसायन वज्ञान प्रभाग:

- कीटनाशक नियम, 1971 के नियम 5 के तहत निर्दिष्ट तकनीकी-कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन करना।

जैवपरख प्रभाग-

- कीटनाशक नियम 1971 के नियम 5(डी) के तहत निर्दिष्ट तकनीकी-कानूनी आवश्यकता का निर्वहन करना।
- जैवप्रभावशीलता और फाइटोटॉक्सिसिटी के लए कीटनाशकों का मूल्यांकन
- गुणवत्ता नियंत्रण के लए बायोएसे तकनीकों का विकास।
- गुणवत्ता नियंत्रण मापदंडों पर जैव-कीटनाशकों का मूल्यांकन।
- सूचनासामग्री तैयार करना और वैज्ञानिकों/वश्लेषकों का प्रशिक्षण।

च कत्सा वष वज्ञान प्रभाग-

- तीव्र, मौखिक/स्वचीय एलडी 50 अध्ययन।
- परिचय से पहले और बाद में कीटनाशकों की वषाक्तता/सुरक्षा का मूल्यांकन।
- कीटनाशकों के संबंध में वष-सतर्कता गति वधियाँ।
- एफएफएस में कसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित और ववेकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षण।

पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण प्रभाग-

- निर्माताओं/पंजीकरणकर्ताओं द्वारा कए गए पैकंग और लेबलिंग दावों/आवश्यकताओं का पंजीकरण से पहले और बाद में सत्यापन
- कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र पर निर्धारित शर्तों के संदर्भ में कीटनाशक नियम, 1971 की धारा 5 (सी) के तहत प्राप्त पैकेजिंग और लेबलिंग नमूनों का सत्यापन/वश्लेषण।
- प्रयोगशाला परीक्षण और क्षेत्र परीक्षण आयोजित करके नए/वैकल्पिक सुरक्षा और आर्थक पैकेजिंग उपकरणों/प्रणालियों का अनुसंधान एवं विकास/सत्यापन।
- सीआईएल की आंतरिक तकनीकी लेखा परीक्षा योजना के तहत कीटनाशकों के नमूनों के भौतिक-रासायनिक वश्लेषण की तकनीकी लेखा परीक्षा।
- कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा भंडारण, परिवहन और उपयोग के मानकों को तैयार करने, अद्यतन करने और संशोधित करने में भारतीय मानक ब्यूरो को तकनीकी मार्गदर्शन। पैकेजिंग, लेबलिंग और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित कीटनाशकों के वधन्न पहलुओं पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कीटनाशक वषाक्तता पर तकनीकी सामग्री तैयार करना।

(<https://ppqs.gov.in/visions/pesticides-testing-infrastructure/central-insectIDES-laboratory>)

टिड्डी:

1. अनुसूचित रे गस्तानी क्षेत्र (एसडीए) में टिड् डियों की निगरानी, चेतावनी और नियंत्रण करना अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता है।
2. टिड् डियों और टिड् डियों पर अनुसंधान करना।
3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क एवं समन्वय।
4. टिड्डी चेतावनी संगठन (एलडब्ल्यूओ) के कर्मचारियों, राज्य के अधिकारियों, बीएसएफ कर्मियों और किसानों के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन विकास।
5. टिड्डी नियंत्रण अभियान आयोजित करके टिड्डी आपातकाल से निपटने के लिए नियंत्रण क्षमता बनाए रखना।
6. हालाँकि, टिड्डी चेतावनी संगठन (एलडब्ल्यूओ) का मुख्य उद्देश्य रे गस्तानी टिड्डी के कहर से खड़ी फसलों और अन्य हरी वनस्पतियों की रक्षा करना है, जो दुनिया भर के रे गस्तानी इलाकों में होने वाले सबसे खतरनाक कीटों में से एक है।

<https://ppqs.gov.in/visions/locust-control-research/mandate-objectives-and-functions>

कार्य और कर्तव्य गति व धर्य

कार्य और कर्तव्य DPPQ&S वेबसाइट पर दिए गए लिंक के तहत भी उपलब्ध हैं:

<https://ppqs.gov.in/visions>

पीक्यू प्रभाग:

- कृषि उत्पादों के सुरक्षित आयात की सुविधा के लिए अतिरिक्त घोषणाओं और विशेष शर्तों के साथ आयात पर मट जारी करना।
- वदेशी कीटों से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए पौधों और पौधों की सामग्री का संगरोध निरीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण करना।
- फाइटोसैनिटरी प्रमाणन (फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र (पीएससी) जारी करने के लिए) करने के लिए; इस उद्देश्य के लिए केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के 201 अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
- संक्रमण/संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वस्तुओं का धूम्रकरण/कीटाणुशोधन/कीटाणुशोधन करना।
- प्रवेश के बाद संगरोध सुविधाओं का प्रमाणीकरण और आयातित बढ़ते पौधों और पौधों की सामग्री का निरीक्षण करना; 45 निरीक्षण प्राधिकारी नामित किये गये हैं।
- पादप स्वच्छता दृष्टिकोण से भारत के कृषि उत्पादों के लिए निर्यात बाजार पहुंच का समर्थन करना।
- व्यापारिक साझेदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और विश्वसनीय फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र प्रणाली प्रदान करके उत्पादकों और निर्यातकों की सहायता करके कृषि में सुरक्षित वैश्विक व्यापार की सुविधा प्रदान करना।

- ना मत निरीक्षण प्रा धकारियों को यात्रा व्यय पूरा करने के लए और राज्य पीएससी जारी करने वाले प्रा धकारियों को निर्यात निरीक्षण प्रमाणन के लए आवश्यक न्यूनतम उपकरणों से लैस करने के लए अनुदान सहायता प्रदान करना।

- ISPM-15 की आवश्यकता के अनुरूप उपचार प्रदाताओं को अनुमोदन प्रदान करना।

- संबंधित देशों के संबंध में उनके आयात या निर्यात के संबंध में व भन्न कृष वस्तुओं का पीआरए करना।

आईपीएम प्रभाग:

- कृषक समुदाय के बीच आईपीएम दृष्टिकोण को लोक प्रिय बनाना।

- कीटक्षीमारी की स्थिति का आकलन करने के लए नियम कीट निगरानी और निगरानी करना।

- प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैव-एजेंटों के क्षेत्र में उपयोग और संरक्षण के लए जैविक नियंत्रण एजेंटों का पालन-पोषण करना।

- रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैव कीटनाशकों और नीम आधारित कीटनाशकों को बढ़ावा देना।

- संसाधन-गरीब और संसाधन-संपन्न राज्यों में समान रूप से वस्तार कार्यकर्ताओं, भूमि कसानों तक नवीन आईपीएम कौशल के प्रसार में उत्प्रेरक भूमिका निभाना।

- कसान फील्ड स्कूलों (एफएफएस) के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों, वस्तार कार्यकर्ताओं और कसानों को प्रशिक्षण प्रदान करके आईपीएम में मानव संसाधन विकास (एचआरडी)।

- कीटनाशक डीलरों/एनजीओ/स्नातक/स्नातकोत्तर ग्राइवेट के लए दो दिन और पांच दिन का मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (छोटी अवधि) पाठ्यक्रम। उद्यमी और प्रगतिशील कसान।

- प्रमुख कृषि/बागवानी फसलों पर सीजन लांग प्रशिक्षण (एसएलटी) कार्यक्रम।

सीआईबी एवं आरसी

- उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के तहत कीटनाशकों के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

- कीटनाशकों के वर्गीकरण के उपयोग को उनकी वषाक्तता के साथ-साथ हवाई अनुप्रयोग के लए उपयुक्त होने के आधार पर निर्दिष्ट करें।

- कीटनाशकों के अवशेषों के लए सहनशीलता सीमा और व भन्न वस्तुओं के संबंध में कीटनाशकों के प्रयोग और फसल के बीच न्यूनतम अंतराल स्थापित करने की सलाह देना।

- कीटनाशकों की शेल्फ-लाइफ निर्दिष्ट करें।

- रंगीकरण का सुझाव दें, जिसमें ऐसे रंगीन पदार्थ भी शामिल हों जिन्हें कीटनाशकों, विशेष रूप से अत्यधिक वषैले प्रकृति वाले कीटनाशकों के सांद्रण के साथ मिलाया जा सकता है।

- ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम या नियमों द्वारा प्रदत्त कसी भी कार्य के पूरक, आकस्मिक या परिणामी हों।

- कीटनाशकों के उपयोग या रख-रखाव के माध्यम से होने वाली वषाक्तता के प्रति बरती जाने वाली सावधानियों को निर्दिष्ट करें।

- अ धनियम या इन नियमों के तहत सौंपे गए कार्यो को पूरा करने के लए आवश्यक ऐसे अन्य आकस्मिक या परिणामी मामलों को पूरा करना।

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल)

- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अ धकृत कसी अ धकारी या प्रा धकारी द्वारा प्रस्तुत कीटनाशकों के नमूनों की गुणवत्ता को सत्या पत करना।
- पंजीकरण की शर्तों को सत्या पत करने की दृष्टि से कीटनाशकों की जांच करना।
- कीटनाशकों की प्रभावकारिता और वषाक्तता निर्धारित करने के लए; और
- कोई अन्य कार्य जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकार की अनुमति से और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के परामर्श के बाद सौंपा जा सकता है।

टिड्डी

- लगभग 2 लाख वर्ग कलोमीटर क्षेत्र में टिड् डियों के हमले से फसल के नुकसान को रोकने के लए क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से निरंतर निगरानी रखें। राजस्थान और गुजरात राज्यों में अनुसू चत रे गस्तानी क्षेत्र एसडीए में टिड्डी आबादी के वकास और त्वरित नियंत्रण कार्यो के माध्यम से भारत में टिड्डी दलों के प्रवेश को रोकें।
- स्थिति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और उभरते टिड्डी खतरे, यदि कोई हो, से निपटने के लए तैयारी सुनिश्चित करने के लए दो देशों के बीच टिड्डी स्थिति की जानकारी के आदान-प्रदान के लए भारत-पाक सीमा बैठकें आयोजित करें।
- कसानों, राज्य कृ ष वभागों के अ धकारियों और अन्य हितधारकों को टिड्डी गति व धयों, उनके जीव वज्ञान और फसलों और अन्य वनस्पतियों को होने वाले नुकसान की सीमा और रे गस्तानी टिड्डे की नवीनतम नियंत्रण तकनीकों के बारे में जागरूक करके उनके लाभ के लए प्र शक्षण आयोजित करें।
- राज्य पदा धकारियों, बीएसएफ क र्मियों, पंचायत राज संस्थानों को सलाह दें क यदि उनके क्षेत्रों में कसी टिड्डी गति व ध की सूचना मलती है तो आवश्यक कार्रवाई के लए निकटतम एलडब्ल्यूओ कार्यालय को सू चत करें।
- भारत में उभरती टिड्डी स्थिति के बारे में सभी संबं धत हितधारकों को सू चत करने के लए पा क्षक अंतराल पर रे गस्तानी टिड्डी स्थिति बुलेटिन जारी करना।
- दिसंबर से मार्च तक टिड् डियों के मौसम की कम अव ध के दौरान एलडब्ल्यूओ ने राजस्थान और गुजरात राज्यों में रबी फसलों (जीरा, अरंडी और चना और सरसों) के लए कसान फील्ड स्कूल (एफएफएस) आयोजित करके एकीकृत कीट प्रबंधन गति व धयां भी सौंपी हैं।
- द क्षण-पश्चिम ए शया में रे गस्तानी टिड्डी नियंत्रण के लए एफएओ आयोग (एसडब्ल्यूएसी) और रे गस्तानी टिड्डी नियंत्रण स मति (डीएलसीसी) की अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करें।
- टिड्डी नियंत्रण के लए कीटनाशकों और जैव-कीटनाशकों की जैव-प्रभावकारिता पर बीकानेर में टिड् डियों पर जांच पर फील्ड स्टेशन (एफएसआईएल) में अनुसंधान का संचालन करें।



संस्थान का संगठनात्मक चार्ट/संरचना:

यह DPPQ&S वेबसाइट पर दिए गए लिंक (<https://ppqs.gov.in/about-us/organization-chart>) के तहत उपलब्ध है।

कोई अन्य व्यवस्था - विभागों की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर एचओडी के साथ-साथ गठित समितियाँ:

इस मैन्युअल के प्रथम पृष्ठ में निदेशालय का संक्षिप्त इतिहास सहित अन्य विभागों का गठन दिया गया है।

निदेशालय के पादप संरक्षण सलाहकार की सूची:

S.No.	Name	From	To	उक्त व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है: <a href="https://ppqs.gov.in/sites/default/files/list_of_plant_protection_advisers_from_1946_to_till_date.pdf">https://ppqs.gov.in/sites/default/files/list_of_plant_protection_advisers_from_1946_to_till_date.pdf</a>
1	Dr. H S Pruthi	1946	1953	
2	Dr. K B Lal	1953	1962	
3	Dr. Sardara Singh	1962	1970	
4	Dr S N Banerjee	1971	1980	
5	Dr K D Paharia	1980	1984	
6	Dr R L Rajak	01-11-1984	14-07-1993	
7	Dr VRanganathan	15-07-1993	14-07-1993	
8	DrR L Rajak	15-07-1996	12-10-2000	
9	Dr V Ragunathan	13-10-2000	31-5-2002	
10	Dr P S Chandurkar	03-06-2002	13-05-2010	
11	Dr SKG Rahate	07-07-2010	06-06-2011	
12	Dr V K Yadava	06-06-2011	31-07-2012	
13	Dr A K Sinha	06-08-2012	06-08-2013	
14	Dr. S N Sushil	07-08-2013	06-08-2013	
15	Dr. A K Sinha	06-08-2016	30-09-2017	
16	Dr. B S. Phogat	04-10-2017	31-01-2018	
17	Dr. DDK Sharma	09-02-2018	30-11-2018	
18	Sh. Rajesh Malik	05-12-2018	22-09-2020	
19	Dr. DDK Sharma	09-02-2018	30-11-2018	
20	Sh. Rajesh Malik	05-12-2018	22-09-2020	
21	Dr. Ravi Prakash	16-10-2020	30-06-2022	
22	Dr. J P Singh	01-07-2022	Till Date	

समय-समय पर गठित समितियों की सूची लंक के अंतर्गत दी गई है:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/board\\_members\\_cib\\_as\\_on\\_01.02.2023.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/board_members_cib_as_on_01.02.2023.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/registration\\_committee.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/registration_committee.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr\\_sanjay\\_arya.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr_sanjay_arya.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal\\_officer\\_13092023.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal_officer_13092023.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal\\_officers.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal_officers.pdf)

<https://ppqs.gov.in/recommendations-various-committees-constituted-rc-dated-april-2017>

## मैनुअल 2:

### DPPQ&S अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।

इस मैनुअल में निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य शामिल हैं जो सेवा नियमों में निहित हैं और प्रत्येक प्रभाग/अनुभाग के रेडी रेकनर के अंतर्गत डीपीपीक्यू एंड एस वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तकनीकी कार्य हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हैं -जेडी (संयुक्त निदेशक), डीडी (उप निदेशक), एडी (सहायक निदेशक) पीपीओ (पौधा संरक्षण अधिकारी), एपीपीओ (सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी) एसए (वैज्ञानिक सहायक), टीए (तकनीकी सहायक)। प्रशासनिक कार्य हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हैं- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ), अवर सचिव (यूएस), अनुभाग अधिकारी (एसओ), सहायक अनुभाग अधिकारी (एसओ), वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार, सहायक, आशु ल पक, यू.डी.सी., एल.डी.सी. और एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ)।

### अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य (वर्तीय)

वर्तीय शक्तियों का प्रयोग समय-समय पर संशोधित वर्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) 1978 के माध्यम से किया जाता है। नवीनतम संशोधित DFPR DPPQ&S वेबसाइट पर इस लंक के अंतर्गत उपलब्ध है:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/delegation\\_of\\_financial\\_powers\\_1.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/delegation_of_financial_powers_1.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/revised\\_dfpr\\_dated\\_18.01.2024\\_0.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/revised_dfpr_dated_18.01.2024_0.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/revised\\_dfpr\\_dated\\_25.01.2024\\_0.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/revised_dfpr_dated_25.01.2024_0.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/revised\\_dfpr\\_dated\\_11.03.2024\\_0.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/revised_dfpr_dated_11.03.2024_0.pdf)

### अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/duties\\_and\\_responsibilities.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/duties_and_responsibilities.pdf)

नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होते हैं:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार और नोडल विभागों यानी डीए एंड एफडब्ल्यू/ डीओपीटी/ डीओई/ डीओएलए आदि द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित किए गए हैं। नियम/आदेश निम्नलिखित लंक के तहत उपलब्ध हैं-

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/delegation\\_of\\_financial\\_powers](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/delegation_of_financial_powers)

<https://ppqs.gov.in/acts>

<https://pqms.cgg.gov.in/pqms-angular/homeGuidelines/Laws>

<https://ppqs.gov.in/circulars>

<https://ppqs.gov.in/notice-board>  
<https://ppqs.gov.in/news>

कार्य आवंटन: जैसा क प्रत्येक प्रभाग/अनुभाग के रेडी रेकनर (<https://ppqs.gov.in/about-us/ready-reckoner>) में दिया गया है।

### मैनुअल 3:

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं। यह मैनुअल भारत सरकार के नियमों के अनुसार या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए&एफडब्ल्यू) द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। MoA&FW और नियमों के अनुसार DPPQ&S द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया। व भन्न स्तरों पर लिए गए निर्णय DPPQ&S वेबसाइट पर लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://ppqs.gov.in/visions/central-insectIDEs-board-registration-committee/registration-procedure>

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/checklist>

<https://ppqs.gov.in/visions/प्लॉट-क्वॉरेंटाइन/Import-export-procedure>

अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकरण:

नीतिगत मामले MoA&FW के स्तर पर तय किए जाते हैं। निदेशालय स्तर पर पौधा संरक्षण सलाहकार पौधा संरक्षण की सभी गति व धर्यों की देखभाल करते हैं।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/decision\\_making\\_authority.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/decision_making_authority.pdf)

वे चरण जिनके माध्यम से प्रस्ताव लागू किया जा रहा है:

क) अधिकारी/अधिकारी: समय-समय पर अधिकारियों/अधिकारियों को जारी किए गए कार्य आवंटन आदेशों के अनुसार प्रस्तावों/फाइलों की जांच की जाती है और आगे प्रशासनिक मंजूरी/अनुमोदन के लिए पौधा संरक्षण सलाहकार (पीपीए) को प्रस्तुत की जाती है।

बी) पौधा संरक्षण सलाहकार (पीपीए): प्रशासनिक/वृत्तीय मंजूरी दें और यदि आवश्यक हो तो फाइल को उनकी सहमति के लिए MoA&FW को भेज दिया जाता है। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद प्रस्ताव को निदेशालय द्वारा क्रयान्वित किया जाता है।

MoA&FW द्वारा वांछित जानकारी की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने की समय सीमा वषय-दर-वषय भन्न होती है। व भन्न प्रभागों से प्राप्त नियम पत्राचार आदि समयबद्ध प्रकृति के होते हैं और निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाए जाते हैं। इसी प्रकार, आरटीआई पत्रों और अपीलों के निपटान की समय सीमा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार है।

सार्वजनिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने की समय सीमा:

व भन्न प्रभागों से प्राप्त नियम पत्राचार आदि समयबद्ध प्रकृति के होते हैं और निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाए जाते हैं। इसी प्रकार, आरटीआई पत्रों और अपीलों के निपटान की समय सीमा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार है। <https://ppqs.gov.in/citizen-charter> पर दी गई है।

**पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल:** निदेशालय के संगठनात्मक चार्ट और सभी प्रभागों/इकाइयों के रेडी रेकनर में अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य आवंटन के अनुसार दिखाया गया है जो पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल दिखाता है। मुख्यालय स्तर पर प्रभागों का नेतृत्व अतिरिक्त पौधा संरक्षण सलाहकार (एपीपीए)संयुक्त निदेशक (जेडी) करते हैं, जो अपने प्रभागों/योजनाओं के कर्मचारियों के काम का पर्यवेक्षण करता है और निदेशालय के पीपीए/एचओडी को रिपोर्ट करता है। प्रशासन और स्थापना में, अनुभाग अधिकारी अपने अनुभागों के कर्मचारियों के काम का पर्यवेक्षण करते हैं और मुख्य प्रशासनिक कार्यालय (सीएओ) को रिपोर्ट करते हैं। लेखा अनुभाग में, अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी अपने अनुभाग के कर्मचारियों के काम की निगरानी करते हैं और अवर सचिव (यूएस-मुख्यालय) को रिपोर्ट करते हैं। ववरण के लए, कृपया लंक के तहत DPPQ&S वेबसाइट पर उपलब्ध संगठनात्मक संरचना/चार्ट और रेडी रेकनर देखें:

<https://ppqs.gov.in/about-us/organization-chart>

<https://ppqs.gov.in/about-us/ready-reckoner>

#### मैनुअल 4:

**DPPQ&S के कार्यों के निर्वहन के लए मानदंड।**

प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति:

निम्न लिखित लंक के तहत मैनुअल - I और DPPQ&S वेबसाइट में दिए गए हैं।

<https://ppqs.gov.in/visions>

<https://ppqs.gov.in/visions/integred-pest-management/overview-and-activities>

<https://ppqs.gov.in/visions/प्लांट-क्वारेन्टाइन&ऑब्जेक्टिव्स>

<https://ppqs.gov.in/visions/pesticides-testing-infrastructure/central-insectIDEs-laboratory>

<https://ppqs.gov.in/visions/locust-control-research/mandate-objectives-and-functions>

**कार्यों/सेवा वतरण के लए मानदंड/मानक:**

इस मैनुअल में भारत सरकार के कृष एवं कसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) द्वारा निर्धारित या अनुमोदित कार्यों/सेवा वतरण के लए मानदंड/मानक शामिल हैं, जो निम्न लिखित लंक के तहत DPPQ&S वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/guidelines>

<https://pqms.cgg.gov.in/pqms-angular/homeGuidelines/Standards>

<https://ppqs.gov.in/publication>

<https://ppqs.gov.in/sites/default/files/standardoperatingproceduresforipm.pdf>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/consolidated\\_sop\\_for\\_desert\\_locust\\_in\\_india\\_.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/consolidated_sop_for_desert_locust_in_india_.pdf)

<https://ppqs.gov.in/regions/tlc-rptl/tlc-situated-hqrs-faridabad>

<https://ppqs.gov.in/divisions/pesticides-testing-infrastructure/state-pesticides-testing-laboratories>

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है, नीचे दिए गए लिंक के तहत दी गई है:

<https://ppqs.gov.in/divisions>

<https://pqms.cgg.gov.in/pqms-angular/homeGuidelines>

<https://ppqs.gov.in/divisions/plant-quarantine/import-export-procedure>

<https://cropuser.cgg.gov.in>

<https://ppqs.gov.in/divisions/central-insecticides-board-registration-committee/registration-procedure>

<https://ppqs.gov.in/publication>

लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा:

व भन्न प्रभागों से प्राप्त नियम पत्राचार आदि समयबद्ध प्रकृति के होते हैं और निदेशालय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर निपटाए जाते हैं। सार्वजनिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने की समय सीमा यहां दी गई है:

<https://ppqs.gov.in/citizen-charter>

शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया:

पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय में शिकायत निवारण अधिकारी हैं और जनता से प्राप्त सभी शिकायतों को सीपीजीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर संबंधित योजना प्रभारियों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा संबोधित/निपटारा किया जाता है। (<https://pgportal.gov.in/>)

डॉ. संजय आर्य, संयुक्त निदेशक (पीपी) डीएआर एंड पीजी (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) से प्राप्त शिकायतों के लिए शिकायत अधिकारी हैं।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr\\_sanjay\\_arya.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr_sanjay_arya.pdf)

## मैनुअल 5:

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निदेशालय या उसके नियंत्रणाधीन उप कार्यालयों द्वारा रखे गए नियम, वनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।

मैनुअल में उपनियम निर्दिष्ट अधिनियम/नियम/आदेश, सेवा नियम, भारत सरकार के सामान्य वृत्तीय नियम, भर्ती और सेवा नियम और ऐसे अन्य नियम शामिल हैं। निदेशालय सरकार के जीएफआर का पालन करता है। समय-समय पर डीओपीटी के निर्णय/संशोधन के अनुसार सभी वृत्त/खरीद संबंधी मामलों के लिए भारत सरकार और प्रशासनिक मामले के लिए सीसीएस नियम।

नियमों, वनियमों, निर्देशों, मैनुअल और अ भलेखों की सूची:

कार्यों के निर्वहन के लए नियम, वनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड निम्न ल खत लंक के तहत डीपीपीक्यूएंडएस वेबसाइट पर उपलब्ध अ धनियमों, नियमों, एसओपी, दिशानिर्देशों और दिन-प्रतिदिन के कार्यालय आदेशों के अनुसार कए जाते हैं:

<https://ppqs.gov.in/acts>

<https://ppqs.gov.in/publication>

<https://ppqs.gov.in/newsletters>

<https://ppqs.gov.in/notice-board>

<https://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/insecticide-in-schedule>

<https://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/registered-products>

<https://pqms.cgg.gov.in/pqms-angular/homeGuidelines/Standards>

<https://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/checklist>

<https://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/guidelines>

<https://ppqs.gov.in/sites/default/files/standardoperatingproceduresforipm.pdf>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/consolidated\\_sop\\_for\\_desert\\_locust\\_in\\_india\\_.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/consolidated_sop_for_desert_locust_in_india_.pdf)

<https://ppqs.gov.in/regions/tlc-rptl/tlc-situated-hqrs-faridabad>

<https://ppqs.gov.in/divisions/pesticides-testing-infrastructure/state-pesticides-testing-laboratories>

स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश:

पौधा संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फ़रीदाबाद और इसके उप-कार्यालयों के अ धकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लए दिनांक 31.7.2018 की स्थानान्तरण नीति 2018 का पालन कया जाता है

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/transfer\\_policy\\_2018.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/transfer_policy_2018.pdf)

स्थानान्तरण आदेश समय-समय पर निदेशालय की वेबसाइट इंटरनेट पर अपलोड कये जाते हैं।

<https://ppqs.gov.in/search/node/POSTING>

**मैनुअल 6:**

प्रा धकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रे णयों का ववरण।

दस्तावेजों की श्रे णयाँ:

यह मैनुअल निदेशालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों को सूचीबद्ध करता है जैसे स्थापना, व्यक्तिगत, सेवा मामले और प्रशासन मैनुअल (केंद्र सरकार के कार्यालयों के लए स्वामी की पुस्तिका), सेवा रजिस्टर, वेतन बहीखाता, जीपीएफ रजिस्टर, गोपनीय रिपोर्ट, केश बुक, वार्षिक रिपोर्ट (<https://agriwelfare.gov.in/en/Annual>), पंजीकरण स मति की बैठक के कार्यवृत्त (<https://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/news-update>), उपभोग्य और गैर- उपभोज्य स्टॉक

रजिस्टर, आवक और प्रेषण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, आदेशों, अधिनियमों, नियमों, समाचार पत्र आदि की एसओपी की प्रतियां। पंजीकरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त हमेशा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

निदेशालय में प्रत्येक प्रभाग/अनुभाग/इकाई के पास MoA&FW और संबंधित भारत सरकार के नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित कार्य से संबंधित व भन्न श्रेणियों के दस्तावेज हैं। निदेशालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों को अलग-अलग डीवीजन/अनुभाग/यूनिट के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, दस्तावेजों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

पौध संरक्षण सलाहकार कार्यालय और सीआईबी एवं आरसी कार्यालय दस्तावेज, स्थापना/बोर्ड कार्यालय दस्तावेज; वृत्तीय दस्तावेज; पुस्तकालय दस्तावेज; दस्तावेज खरीदें; व भन्न बैठकें/समितियों के दस्तावेज आदि।

इन दस्तावेजों/श्रेणियों के संरक्षक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) और प्रभाग/इकाई/अनुभाग प्रभारी हैं।

#### मैनुअल 7:

इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित बोर्डों, समितियों और अन्य निकायों का एक ववरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसे कार्यवृत्त बैठकें जनता के लिए सुलभ हैं।

#### बोर्ड, समिति का नाम:

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी एंड आरसी), वभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)/डीएससी/कल्याण समिति, खरीद समिति और नोडल अधिकारी सेवा, शकायत और निगरानी उद्देश्यों से संबंधित व भन्न वषणों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किए जाते हैं।

#### संरचना, पद/कार्यकाल और शक्तियां एवं कार्य:

शक्तियों और कार्यों के साथ सीआईबी और आरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की संरचना, कार्यकाल/कार्यकाल का उल्लेख निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 में किया गया है।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides\\_act\\_1968\\_0.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_act_1968_0.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides\\_rules\\_1971.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_rules_1971.pdf)

सीआईबी और आरसी के सदस्यों की सूची निम्न लिखित लिंक के तहत डीपीपीक्यू एंड एस वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://ppqs.gov.in/divisions/central-insecticides-board-registration-committee/about-cibrc>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/board\\_members\\_cib\\_as\\_on\\_01.02.2023.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/board_members_cib_as_on_01.02.2023.pdf)

<https://ppqs.gov.in/registration-committee>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/registration\\_committee.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/registration_committee.pdf)

(आरटीआई, शिकायत, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी, जीईएम, एलआईएमबीएस, एईबीएस, ई-एचआरएमएस, एसपीपीएआरआरओ आदि के कल्याण) की निगरानी के उद्देश्य से नोडल अधिकारियों की सूची:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr\\_sanjay\\_arya.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr_sanjay_arya.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal\\_officer\\_13092023.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal_officer_13092023.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal\\_officers.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/nodal_officers.pdf)

क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? नहीं, बैठकें केवल सदस्यों के लिए खुली हैं।

क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं? हां, बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं और सभी के लिए नीचे दिए गए लिंक के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/news-update>

### मैनुअल 8:

**DPPQ&S** अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका:

व्यक्तियों के सेवा रजिस्टर में शामिल निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम, जन्मतिथि, सेवानिवृत्त की तारीख और आवासीय पते, फोन नंबर।

निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम दूरभाष एवं ई-मेल आईडी सहित (मण्डलवार) निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं।

<http://ppqs.gov.in/about-us/whos-who>

<http://ppqs.gov.in/contactus>

<https://ppqs.gov.in/about-us/ready-reckoner>

### मैनुअल 9:

मुआवजे की प्रणाली सहित **DPPQ&Ss** अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।

इस मैनुअल में इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाला पारिश्रमिक शामिल है। इसमें मुआवजे की प्रणाली जैसे प्रतिपूरक अवकाश, अतिरिक्त साधारण अवकाश और चकत्सा आधार पर परिवर्तित अवकाश का भी वर्णन किया गया है। मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर पीपीए द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक लाभ निदेशालय में लागू किए जाते हैं।

वेतन स्तर और मूल वेतन वाले कर्मचारियों की सूची **DPPQ&S** वेबसाइट पर अपलोड की गई है:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/monthly\\_report\\_account\\_0.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/monthly_report_account_0.pdf)

मुआवजे की प्रणाली जैसा कि इसके नियमों में दी गई है: प्रतिपूरक अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश और चकत्सा आधार पर परिवर्तित अवकाश, चकत्सा देखभाल आदि (सीसीएस, 1972 नियम) भारत सरकार के नियमों और वनियमों के अनुसार यहां उपलब्ध हैं:



<https://doppw.gov.in/en/rulesregulations/central-civil-services-pension-rules-1972>

**मैनुअल 10:**

जन सूचना अधकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य ववरण।

सार्वजनिक सूचना अधकारी (पीआईओ), सहायक सार्वजनिक सूचना (ओं) और अपीलीय प्राधकारी का नाम और पदनाम, प्रत्येक नामत अधकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी:

उपरोक्त जानकारी डीपीपीक्यू एवं वेबसाइट पर 'आरटीआई' लंक के तहत उपलब्ध है:

<http://ppqs.gov.in/rti>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpios\\_and\\_faa\\_16.01.2024.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpios_and_faa_16.01.2024.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/corrigendum\\_to\\_rti\\_office\\_order\\_no.1\\_of\\_2024\\_dated\\_16.01.2024.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/corrigendum_to_rti_office_order_no.1_of_2024_dated_16.01.2024.pdf)

**मैनुअल 11:**

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके वरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावत की गई है:

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके वरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है: छोटे दंड या बड़े दंड की कार्यवाही के लिए लंबित: 11

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके वरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है: लघु दंड या बड़े दंड की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया: 01

**मैनुअल 12:**

आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम:

शैक्षक कार्यक्रम:

जानकारी DPPQ&S वेबसाइट पर 'आरटीआई' लंक के तहत उपलब्ध है:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti\\_trainings\\_for\\_officers\\_officials.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti_trainings_for_officers_officials.pdf)

सार्वजनिक प्राधकरण को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास:

सीपीआईओ और एफएए को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/effort\\_to\\_encourage\\_participation\\_officers\\_for\\_advance\\_understanding\\_of\\_rti\\_section\\_26.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/effort_to_encourage_participation_officers_for_advance_understanding_of_rti_section_26.pdf)

सीपीआईओ का प्रशक्षण:

ववरण यहां दिया गया है

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti\\_trainings\\_for\\_officers\\_officials.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti_trainings_for_officers_officials.pdf)

संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देश अद्यतन और प्रकाशित करें:

आरटीआई मैनुअल, अनिवार्य प्रकटीकरण, अन्य जानकारी आदि नियमित अंतराल पर (01.04.2024 तक)

अपलोड/अपडेट किए जाते हैं।

<https://ppqs.gov.in/>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti\\_section4.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti_section4.pdf)

### मैनुअल 13:

बजट और कार्यक्रम:

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवर्धन पर रिपोर्ट आदि सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट।

DPPQ&S बजट को आवंटित बजट MoA&FW द्वारा प्रस्तावित है। DPPQ&S के लिए आवंटित कुल बजट 188.533 करोड़ रुपये है।

पछले 5 वर्षों के लिए बजट, प्रस्तावित व्यय का ववरण दिखाने वाला ववरण DPPQ&S वेबसाइट पर अपलोड किया गया है:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/details\\_of\\_budget\\_allocated\\_to\\_dppqs.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/details_of_budget_allocated_to_dppqs.pdf)

वदेशी और घरेलू दौरे:

बजट: 6.20 करोड़ रुपये

वभाग के प्रमुखों द्वारा वदेशी और घरेलू दौरे (पीपीए):

देखे गए स्थानों, यात्रा की अवधि, आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में सदस्यों की संख्या और यात्रा पर व्यय का ववरण यहां उपलब्ध है।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/foreign\\_tours\\_by\\_the\\_head\\_of\\_department.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/foreign_tours_by_the_head_of_department.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/details\\_expenditures\\_on\\_foreign\\_and\\_domestic\\_tours\\_by\\_hod.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/details_expenditures_on_foreign_and_domestic_tours_by_hod.pdf)

खरीद से संबंधित जानकारी:

क) नोटिस/निवेदन पूछताछ, और यदि कोई हो तो शुद्ध पत्र,

ख) खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम सहित प्रदान की गई बोलियों का ववरण,

ग) कार्य अनुबंध संपन्न - उपरोक्त के ऐसे किसी भी संयोजन में-और,

घ) दर/दरों और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध होना है निष्पादित।

उपरोक्त जानकारी 'आरटीआई' लिंक के तहत उपलब्ध है

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/procurement\\_details\\_for\\_the\\_year\\_2023\\_-\\_24.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/procurement_details_for_the_year_2023_-_24.pdf)

<https://ppqs.gov.in/archive-tender>

#### मैनुअल 14:

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, आवंटित राश और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ववरण सहित: निदेशालय कोई सब्सिडी कार्यक्रम संचालित नहीं करता है।

ववेकाधीन और गैर-ववेकाधीन अनुदान:

निदेशालय के पास ऐसा कोई अनुदान उपलब्ध नहीं है।

निदेशालय द्वारा दी गई रियायतों, परमिट या प्राधिकरणों का ववरण:

DPPQ&S के लिए लागू नहीं है।

सीएजी पैरा और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर):

MoA&FW द्वारा निपटारा DPPQ&S स्तर पर नहीं।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/details\\_of\\_budget\\_allocated\\_to\\_ppqs.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/details_of_budget_allocated_to_ppqs.pdf)

#### मैनुअल 15:

प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस:

निदेशालय की नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद कसी भी व्यवस्था का ववरण।

निदेशालय की वेबसाइट (<https://ppqs.gov.in/>) अपनी नीति के निर्माण और इसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श के लिए इंटरैक्टिव संचार के लिए एक चैनल प्रदान करती है। तकनीकी विशेषज्ञों/अधिकारियों और प्रशासनिक इकाई का संपर्क ववरण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 'कौन है' के अंतर्गत उपलब्ध है और हमसे संपर्क करें।

<https://ppqs.gov.in/contactus>

<https://ppqs.gov.in/about-us/whos-who>

व भन्न श्रेणियों के तहत कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन, कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि जैसे कुछ मामलों पर समय-समय पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं।

(<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/news-update>)

प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं:

निम्नलिखित लिंक के तहत निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://ppqs.gov.in/acts>

[https://pqms.cgg.gov.in/pqms-](https://pqms.cgg.gov.in/pqms-angular/homeGuidelines/Operational%20Guidelines%20for%20Exporters%20and%20Importers)

[angular/homeGuidelines/Operational%20Guidelines%20for%20Exporters%20and%20Importers](https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/cibrc-forms)

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/cibrc-forms>

<https://ppqs.gov.in/regions/tlc-rpt/tlc-situated-hqrs-faridabad>

- (ए) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, (बी) आगंतुकों के लिए दिन और समय आवंटित: सभी हितधारकों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जाती हैं और सीआईबी एंड आरसी में प्रत्येक शुक्रवार को वीसी बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/news-update> (सी) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुवधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क ववरण: डॉ. संजय आर्य, संयुक्त निदेशक (पीपी) वर्तमान में नोडल अधिकारी (आरटीआई) हैं।

अन्य ववरण: लागू नहीं

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): लागू नहीं

क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें दिया जाता है?

हां, नीतिगत निर्णयों से जुड़े मामले उच्च स्तर पर निपटाए जाते हैं। हालाँकि, सभी आदेश/परिपत्र/दिशानिर्देश/शेड्यूल आदि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर डीपीपीक्यूएस वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं।

<https://ppqs.gov.in/news>

<https://ppqs.gov.in/newsletters>

<https://ppqs.gov.in/publication>

<https://ppqs.gov.in/notifications>

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/news-update>

<https://ppqs.gov.in/visions/प्लॉट-क्वॉरेंटाइन-राष्ट्रीय-मानक-और-accredited-agency>

<https://pqms.cgg.gov.in/pqms-angular/homeGuidelines/Standards>

सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो:

संचार के सबसे प्रभावी साधन इंटरनेट (वेबसाइट) का उपयोग और डीपीपीक्यू एंड एस के पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में ववरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।

सूचना मैनुअल/हैंडबुक यहां उपलब्ध है:

इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप:

निदेशालय की वेबसाइट (<https://ppqs.gov.in/>) में वभाग, प्रभागों, अधिनियमों, नियमों, प्रकाशनों, समाचार पत्रों, नागरिक चार्टर, एसओपी, नोटिस, आदेश, परिपत्र, बुलेटिन, अधिसूचना, सलाह के साथ-साथ मनटों के बारे में सभी जानकारी शामिल है। बैठक की जानकारी DPPQ&S वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

<https://ppqs.gov.in/acts>

<https://ppqs.gov.in/visions>

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/news-update>

<https://ppqs.gov.in/newsletters>

<https://ppqs.gov.in/publication>

<https://ppqs.gov.in/news>

<https://ppqs.gov.in/ipm-packages>

<https://ppqs.gov.in/advisories-section>

<https://ppqs.gov.in/visions/integred-pest-management/instruction-safe-use-pestIDE>

<https://ppqs.gov.in/visions/locust-control-research/locust-bulletin>

मुद्रित प्रारूप: हां, सभी एफएए और सीपीआईओ के पास उपलब्ध है।

सूचना मैनुअल हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं: आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार सुलभ सभी जानकारी (आरटीआई के प्रावधान के तहत छूट प्राप्त सामग्री को छोड़कर), आरटीआई अधिनियम और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीपीआईओ कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निःशुल्क उपलब्ध सामग्रियों की सूची: हां, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

<https://ppqs.gov.in/>

उचित लागत पर उपलब्ध जानकारी की सूची: आरटीआई के तहत न्यूनतम लागत भरकर प्राप्त की जा सकती है।

ई-शासन:

वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल हैंडबुक उपलब्ध है: द्विभाषी

आरटीआई मैनुअल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

दोनों मैनुअल संस्थान की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम लंक के तहत उपलब्ध हैं:

हिंदी में वेबसाइट: <https://ppqs.gov.in/hi>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/newsletter\\_oct-dec\\_2023\\_hindi.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/newsletter_oct-dec_2023_hindi.pdf)

जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है: इस मैनुअल में ऊपर उल्लिखित सभी लंक।

## मैनुअल 17:

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुवधाओं का ववरण:

DPPQ&S वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी का ववरण निम्न ल खत लंक के अनुसार है:

<http://ppqs.gov.in>

<https://ppqs.gov.in/visions>

<https://ppqs.gov.in/newsletters>

<https://ppqs.gov.in/publication>

<https://ppqs.gov.in/visions/integred-pest-management/instruction-safe-use-pestIDE>

<https://ppqs.gov.in/advisories-section>

<https://ppqs.gov.in/visions/locust-control-research/locust-bulletin>

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/insectIDE-in-schedule>

<https://ppqs.gov.in/visions/cib-rc/registered-products>

<https://ppqs.gov.in/about-us/ready-reckoner>

सुवधा के कार्य घंटे सार्वजनिक डोमेन में 24 घंटे (24x7) उपलब्ध हैं

संपर्क व्यक्ति और संपर्क ववरण (फोन, फैक्स ईमेल) DPPQ&S वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://ppqs.gov.in/about-us/whos-who>

<https://ppqs.gov.in/contactus>

## मैनुअल 18:

अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(b)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है:

शकायत निवारण तंत्र:

पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय में शकायत निवारण अ धकारी हैं और जनता से प्राप्त सभी शकायतों को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर संबं धत योजना प्रभारियों/प्रभारी अ धकारियों द्वारा संबो धत कया जाता है।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/progress\\_report\\_of\\_public\\_grievances\\_redress\\_and\\_monitoring\\_system\\_cpgrams\\_portal.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/progress_report_of_public_grievances_redress_and_monitoring_system_cpgrams_portal.pdf)

आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और प्रदान की गई जानकारी का ववरण:

आरटीआईएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आरटीआई का ऑनलाइन निस्तारण कया गया।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti\\_requests\\_appeals\\_status\\_report\\_rti\\_mis\\_portal.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti_requests_appeals_status_report_rti_mis_portal.pdf)

योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची (पूर्ण/खल रही है): शून्य

वार्षिक रिपोर्ट: समय पर DA&FW को प्रस्तुत की गई। <https://agriwelfare.gov.in/en/Annual>

पर उपलब्ध है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू): [https://ppqs.gov.in/sites/default/files/faqs\\_on\\_rti.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/faqs_on_rti.pdf)

नागरिक चार्टर: <https://ppqs.gov.in/citizen-charter>

परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी), नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क के खिलाफ प्रदर्शन: भौतिक उपलब्धि के रूप में उपलब्ध प्रत्येक प्रभाग/अनुभाग/यूनिट रेडी रेकनर के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है।

<https://ppqs.gov.in/about-us/ready-reckoner>

### मैनुअल 19:

आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान:

प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों और अपीलों का ववरण DPPQ&S वेबसाइट पर उपलब्ध है-

<https://ppqs.gov.in/rti>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti\\_requests\\_appeals\\_status\\_report\\_rti\\_mis\\_portal.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti_requests_appeals_status_report_rti_mis_portal.pdf)

संसद में पूछे गए सवालों के जवाब:

पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का ववरण DPPQ&S वेबसाइट पर नीचे उपलब्ध है।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rajya\\_sabha\\_parliament\\_questions.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rajya_sabha_parliament_questions.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/loc\\_sabha\\_parliament\\_questions.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/loc_sabha_parliament_questions.pdf)

### मैनुअल 20:

वर्तमान सीपीआईओ और एफएए का नाम और ववरण

जानकारी DPPQ&S वेबसाइट पर नीचे उपलब्ध है:

<http://ppqs.gov.in/rti>

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpios\\_and\\_faa\\_16.01.2024.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpios_and_faa_16.01.2024.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/corrigendum\\_to\\_rti\\_office\\_order\\_no.1\\_of\\_2024\\_dated\\_16.01.2024.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/corrigendum_to_rti_office_order_no.1_of_2024_dated_16.01.2024.pdf)

पहले सीपीआईओ और एफएए:

पूर्व सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में कार्यालय आदेश आरटीआई पृष्ठ के तहत डीपीपीक्यू एंड एस पर उपलब्ध है।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpios\\_20.04.2017.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpios_20.04.2017.pdf)

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio\\_06102017\\_0.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio_06102017_0.pdf)  
[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti\\_oo\\_01\\_2018.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/rti_oo_01_2018.pdf)  
[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio\\_01.04.2019.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio_01.04.2019.pdf)  
[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio\\_16112020\\_0.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio_16112020_0.pdf)  
<https://ppqs.gov.in/sites/default/files/faacpios.pdf>  
[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio\\_faa\\_25112022.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/cpio_faa_25112022.pdf)

स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तृतीय पक्ष ऑ डट का ववरण:

कए गए ऑ डट की तारीखें और रिपोर्ट:

अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनें शयल मैनेजमेंट (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद (भारत सरकार के व्यय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय) के ऑ डटर डॉ. बी के पांडे द्वारा 11.09.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ववरण यहां उपलब्ध हैं:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/third\\_party\\_transparancy\\_audit\\_report\\_for\\_the\\_year\\_2022-23.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/third_party_transparancy_audit_report_for_the_year_2022-23.pdf)

संयुक्त स चव/अतिरिक्त वभागाध्यक्ष पद से नीचे के नहीं होने वाले नोडल अ धकारियों की नियुक्ति नियुक्ति की ति थ: 01.04.2024

अ धकारी का नाम और पद: डॉ. संजय आर्य, संयुक्त निदेशक (पीपी)

निदेशालय का नेतृत्व निदेशक के समकक्ष पादप संरक्षण सलाहकार (पीपीए) करता है। निदेशालय में जेएस के समकक्ष कोई पद उपलब्ध नहीं है। इस लए, वरिष्ठ संयुक्त निदेशक आरटीआई के लए नोडल अ धकारी हैं।

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr\\_sanjay\\_arya.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/dr_sanjay_arya.pdf)

स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण पर सलाह के लए प्रमुख हितधारकों की परामर्श स मति:

अनुमोदन के साथ 21.03.2024 को पीपीए का गठन कया गया और अ धकारियों के नाम और पदनाम से संबंधत ववरण निम्न ल खत लंक पर दिए गए हैं:

[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/consultancy\\_committee\\_for\\_advice\\_on\\_suo\\_moto\\_disclosure\\_under\\_section\\_4\\_of\\_rti\\_act\\_2005\\_1.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/consultancy_committee_for_advice_on_suo_moto_disclosure_under_section_4_of_rti_act_2005_1.pdf)

आरटीआई के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफए की स मति:

अनुमोदन के साथ 21.03.2024 को पीपीए का गठन कया गया और अ धकारियों के नाम और पदनाम से संबंधत ववरण निम्न ल खत लंक पर दिए गए हैं:



[https://ppqs.gov.in/sites/default/files/committee\\_of\\_cpisofaas\\_to\\_identify\\_frequently\\_sought\\_information\\_under\\_rti\\_act\\_2005.pdf](https://ppqs.gov.in/sites/default/files/committee_of_cpisofaas_to_identify_frequently_sought_information_under_rti_act_2005.pdf)

### मैनुअल 21:

खुद की पहल पर खुलासा की गई जानकारी

आइटम सूचना का खुलासा क्या जाए ता क जनता को सूचना प्राप्त करने के लए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।

डीपीपीक्यू और वेबसाइट पर समय-समय पर उपलब्ध और अद्यतन की गई जानकारी निम्न ल खत लंक के अंतर्गत है:

<http://ppqs.gov.in>

<https://ppqs.gov.in/about-us/about-department>

<https://ppqs.gov.in/visions>

<http://ppqs.gov.in/news>

<https://ppqs.gov.in/acts>

<https://ppqs.gov.in/newsletters>

<https://ppqs.gov.in/publication>

<https://ppqs.gov.in/citizen-charter>

<https://ppqs.gov.in/notice-board>

<https://ppqs.gov.in/contactus>

<https://ppqs.gov.in/about-us/whos-who>

<https://ppqs.gov.in/about-us/ready-reckoner>

<https://ppqs.gov.in/news>

क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त क्या गया है और इसकी वैधता:

हां, एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र प्राप्त क्या गया था और इसकी वैधता 6 जून, 2021 है। एसआईक्यूसी प्रमाणपत्र का नवीनीकरण जारी है।

क्या वेबसाइट वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाती है?

हां, प्रमाणपत्र निदेशालय की वेबसाइट पर दिखाया गया है। एसआईक्यूसी प्रमाणपत्र का नवीनीकरण प्रगति पर है।

<https://ppqs.gov.in/sites/default/files/STQC.PDF>